श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो दूसरी बात उन्होंने कहीं, उसके बारे में पहले भी बतला चुकी हूं। माननीय सदस्य तो एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : श्रीमन्, प्रधान मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान में जब कोई बाहर का आता है तो पाकिस्तान की सरकार बराबर भारत के खिलाफ उससे बातें करती है। इस बार भी पश्चिम जर्मनी के चांसलर कीसिंगर पाकिस्तान गये तो पाकिस्तान की सरकार ने काश्मीर के बारे में उनसे बातें कीं अपने ढंग से। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के ऐसी बातें करने के पीछे कहीं यह इरादा तो नहीं था कि पाकिस्तान काश्मीर के मामले को पश्चिम जर्मनी की मार्फत यू० एन० ओ० में उठाना चाहता है? क्या सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं और यदि जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेने के लिये सरकार ने क्या किया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारी ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

SHRI BALACHANDRA MENON (Kerala) : Considering the consistent anti-Indian policy of the West German Government as revealed in the supply of arms to Pakistan, in the statement that the West German Government will consider the recognition of the German Democratic Republic as an unfriendly act, in the recent flight over the Gilgit area and in the position taken up by the West German Government on the Arab-Israeli conflict, will the Government now at least change their stand and recognise the German Democratic Republic whose policies are more in tune with ours ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Sir, I have already expressed my views on this.

SHRI BHUPESH GUPTA : What are your views?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, क्या प्रधान मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने साफ ऐलान कर रखा है कि एक मुल्क को छोड़ कर अगर कोई दूसरा मुल्क पूर्वी जर्मनी को मान्यता देगा तो उससे हम अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे? यदि हां, तो क्या इसी डर के कारण भारत की सरकार पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने से हिचकती है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं। हम डर कर कुछ नहीं करते हैं।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT (1966-67) AND **ACCOUNTS OF THE CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED AND RELATED PAPERS**

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers, under sub-section (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Annual Report and Accounts of the Cement Corporation of India Limited, for the year ended 31st March, 1967, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii^ Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT-1911/67 for (i) and (ii).]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) NOTIFICATIONS

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Company Affairs) under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956 ;—

(i) Notification G.S.R. No. 1244, dated the 7th August, 1967.

(ii) Notification G.S.R. No. 1245, dated the 9th August, 1967.